

—:: राजस्थान सरकार ::—

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़



Tele-07432-232230 fax No 07432-231131, E-Mail. ID dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ () एफसीए/उवसं/2025-26/1636
निमित्त :-

दिनांक :- 04.02.26.

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :- Diversion of 0.95 Ha. Of forest land for construction of road NH-12 to Rojya sanctioned under RRSMP (PHASE-II) in Rajasthan in District Jhalawar.
(Proposal no. FP/RJ/RAOD/7595/2014)

प्रसंग :- उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) के पत्रांक 15 दिनांक 07.01.2026 के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में निवेदन है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत (Violation) उल्लंघन की स्थिति एवं अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालना में दिनांक 09.01.2026 को अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया। प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

अतः पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

—:: राजस्थान सरकार ::—

भवदीय

(सागर पवार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

क्रमांक एफ () एफ.सी.ए./उवसं/2025-26/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.) अरण्य भवन जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड, अकलेरा

क्रमांक :- 1079

दिनांक :- 05/12/25

श्रीमान उप वनसंरक्षक
झालावाड़, जिला झालावाड़

विषय :- Construction of Road from NH 12 to Rojya (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar
(Proposal No./RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रसंग :- शासन सचिव(वन) राजस्थान सरकार कार्यालय पत्रांक दिनांक 18.01.2024 के क्रम में


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि Construction of Road from NH 12 to Rojya under RRSMP (Phase II) in Rajasthan in Distt. Jhalawar में 0.95 हेक्टर वनभूमि की सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनांक 18.03.2015 को प्राप्त हो चुकी है। जिसकी बिन्दुवार पालना के क्रम में निम्नलिखित दो बिन्दुओं की अनुपालना चाही गई थी

1. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत (Violation) उल्लंघन की स्थिति एवं अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट अनुपालना के साथ प्रस्तुत करावें।

उक्त प्रकरण में निम्नलिखित बिन्दुओं सहित पालना रिपोर्ट कार्यालय के पत्र क्रमांक 264 दिनांक 10.07.2025 एवं पत्रांक 634 दिनांक 23.08.2024 द्वारा पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है तथा पुनः भिजवायी जा रही है। उक्त के क्रम में उप वन संरक्षक के पत्रांक 1074 दिनांक 22.02.2024 व संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा के पत्रांक 5142 दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से पालना रिपोर्ट भिजवा दी गई हैं जिसकी अन्तिम स्वीकृति के क्रम में प्रधान वन संरक्षक अरण्य भवन जयपुर कार्यालय में पत्रांक 7195 दिनांक 18.08.2023 में Review of work pending due to forest clearance of PWD Jhalawar Project के दौरान निर्माण में उक्त कार्य का निस्तारण दण्डात्मक राशि की गणना कर डिमाण्ड द्वारा राशि का समायोजन करने का निर्णय लिया गया था।

कृपया उक्त प्रस्ताव को जन उपयोगी के आधार पर प्रस्ताव में अन्तिम स्वीकृति जारी करने की कृपा करें।


(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि.खण्ड अकलेरा

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1075-72
निमित्त:-

दिनांक: 22-02-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Construction of Road NH-12 to Rogya sanctioned
under RRSMP (Phase-II) in Dist-Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Road NH-12 to Rogya sanctioned under RRSMP (Phase-II) in Dist-Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक पत्रांक प. 1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा द्वारा पत्रांक 50 दिनांक 14.02.2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(वी. चैतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक: 22-02-24

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/ 1075-72

- प्रतिलिपि :-
1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज० प्रमथ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।
 3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा को देकर लेख है कि बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को पर 02 दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हो जा सके।

उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested



D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
फोन नं० 010 15294

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

Rest House, Kishornpura Kota- 324009 E-Mail:- ccffdn.kota@gmail.com Tel. no. 0744- 2500194

क्रमांक एफ()एफसीए/समुवसं/2025-26/ 5112
निमित्त:-

दिनांक: 04/06/25

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी
एफसीए, जयपुर, राजस्थान।

विषय:- Diversion of 0.95 Ha. Of forest land for construction of road NH-12 to
Rojya sanctioned under RRSMP(PHASE-II) in Rajasthan in District
Jhalawar.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 676 दिनांक 10.04.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि प्रकरण की सैधान्तिक स्वीकृति पत्रांक
प.1 (51)वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से प्रदान की गई थी। प्रकरण में प्राप्त सैधान्तिक स्वीकृति की
पालना रिपोर्ट पूर्व में प्रेषित कर दी गई थी। आप द्वारा प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत
VIOLATION की स्थिति एवं एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र की प्रति चाही गयी थी।

उप वन संरक्षक, झालावाड के पत्रांक 16012 दिनांक 21.10.2024 से एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र इस
कार्यालय में प्रेषित किया गया था जिसे इस कार्यालय के पत्रांक 6361 दिनांक 05.11.2024 (प्रति संलग्न) से
आपको पूर्व में भिजवाया दिया गया था। पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

भरडीया,
(शोनाल जोरिहार)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Photo Copy Attested

अधिसायी अधियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अक्लेरा
डी० डी० ओ० 15294

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Rajasthan)

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4193-95


Date :-
22-08-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(P) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having inmated and completed the process of settlement of rights under the Scheddual Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.95 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Approach road to Rojya falls within jurisdiction of Gram Panchayat Borkheri Gujran Village in Rojya in Aklera tehsil. It is further certified that :-

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.95 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee/s), Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Topal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above


District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4193-95

Date :-
22-08-24

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwarfor N/A
Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A



District Collector & District Magistrate
Jhalawar

Photo-Copy Attested

अधिकाची अधियन्ता
साठ नि० वि० अ० अकलेरा
डी० डी० अ० 15294

र्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान,

अरण्य भवन, झालाना सांस्थानिक क्षेत्र, जयपुर-302004

क्रमांक एफ 14 ()2014 / झालावाड़ रोड / एफसीए / प्रमुवसं / 7195 दिनांक 18-08-2023

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 07.08.2023 को 11:00 AM सुश्री शिखा मेहरा, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटैक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण (FP/RJ/Road/7609/2014) एप्रोच रोड सांवल्दा की सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त होने की दशा में उसमें जमा राशि को अन्य प्रस्तावों में समायोजित करने के संबंध में समीक्षात्मक बैठक उनके कक्ष में आयोजित की गई। जिसमें निम्नांकित अधिकारियों ने हिस्सा लिया:-

1. श्री महेश गुप्ता, मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. श्री घंतन कुमार, उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. श्री दिनेश कुमार गुप्ता, उप वन संरक्षक, एफसीए।
4. श्री मनमोहन सिंघल, अधीक्षण अभियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
5. श्री खेमराज, अधिशाही अभियंता, अकलेश, झालावाड़।

उप वन संरक्षक, एफ.सी.ए. द्वारा अवगत कराया गया कि अधिशाही अभियंता, अकलेश, झालावाड़ द्वारा प्रेषित वन भूमि प्रत्यावर्तन का एक प्रस्ताव एप्रोच रोड सांवल्दा (FP/RJ/Road/7609/2014) जिसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दिनांक 04.03.2015 को जारी की गई। आवेदक अधिशाही अभियंता, अकलेश, झालावाड़ को निवेदन पर प्रस्तावित प्रकरण आवश्यक नहीं होने की दशा में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.4.2023 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निरस्त कर दी गयी है। उक्त प्रकरण में यूजर एंजेंसी द्वारा जमा की गयी राशि 12210000+387639 = 12697639 जमा की गयी है जिसका समायोजन किया जाना प्रस्तावित है।

अधिशाही अभियंता अकलेश द्वारा अवगत कराया गया कि उनकी आई.डी. से मूल 7 प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं। जों निम्नानुसार है:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	category	area applied (ha)	submitte d date	Status
1	FP/RJ/Road/7478/2014	A/R to Kishorpura Bardiya	Road	0.56	16.10.2014	Pending with UA
2	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	Road	0.95	16.10.2014	In principle
3	FP/RJ/Road/7609/2014	A/R to Sanvalda	Road	0.996	29.10.2014	cancelled
4	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Bardiya to Jatamari	Road	0.994	29.10.2014	In principle
5	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Bhanpura	Road	0.2	29.10.2014	In principle
6	FP/RJ/Road/13599/2015	Mohanpura to Ganeshpura lodhan	Road	0.984	30.06.2015	Approved
7	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	Road	0.936	15.04.2015	In principle

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियंता
फोटो को प्रमाणित करने के लिए
डी.डी. नं. 15294

Scanned with CamScanner

Scanned with OKEN Scanner

आवेदक द्वारा निम्नानुसार प्रकरणों में उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा जारी मांग पत्रों के अनुसार अपने अन्य विचाराधीन प्रस्तावों में निम्नानुसार राशि समायोजित करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार है:-

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/7595/2014	A/R to Rojya	2225688.00	2225688.00
2	FP/RJ/Road/7757/2014	A/R Barodiya to Jatamari	3174304.00	3174304.00
3	FP/RJ/Road/7759/2014	A/R to Nayagaon Dhanpura	1764576.00	1764576.00
4	FP/RJ/Road/11683/2015	Road from Beenaganj to Balbantpura	1709586.00	929810.00
		Total	8874154.00	8094378.00

क0सं0 4 पर अंकित प्रकरण Road from Beenaganj to Balbantpura में राशि 779776 लाख पृथक् से जगा करायी जावेगी। इस प्रकार कुल 12697639.00 में से 8094378.00 का समायोजन किया जावेगा। अवशेष राशि 4603261 का समायोजन झालावाड़ जिले के अन्य प्रस्तावों में निम्नानुसार करने हेतु आग्रह किया एवं कोई अनापत्ति नही होने की वचनवद्धता भी प्रस्तुत की गयी।

S. N.	Proposal No	Proposal name	Demand note raised by DCF Jhalawar	Amount to be adjusted
1	FP/RJ/Road/30449/2019	Taraj to tara Devi	1810849.00	1810000.00
2	FP/RJ/Road/7558/2014	A/R Bankheri	2792412.00	2792000.00
		Total	4603261.00	4602000.00

उक्त प्रकरणों में क0सं 1 पर राशि 849.00 एवं क0सं0 2 पर राशि 412.00 पृथक् से जगा करायी जावेगी। उप वन संरक्षक, झालावाड़ द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मांग पत्र वर्तमान श्रमिक दरों के आधार पर एवं एन.पी.वी. की दरों में हुये परिवर्तन के मद्देनजर जारी किये गये हैं। सभी सदस्यों द्वारा सर्वसहमति से उपरोक्तानुसार राशि समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।
बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

(दिनेश कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

क्रमांक एफ 14()2014 / झालावाड़ रोड / एफ.सी.ए. / प्रमुखसं / 7196-7201 दिनांक 18-08-2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य वन संरक्षक, कोटा।
2. उप वन संरक्षक, झालावाड़।
3. अधीक्षण अगियंता, पर्यावरण, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
4. अधीशापी अगियंता, खण्ड अकलेरा / चौमहला / खानपुर झालावाड़।

उप वन संरक्षक (एफ.सी.ए.)
अरण्य भवन, जयपुर

Photo Copy Attested

अधीशापी अधियन्ता
सां निं विं खण्ड अकलेरा
सीं डीं अं 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सा०नि०वि० खण्ड- अकलेरा जिला झालावाड

mail :- pwdaklera@rediffmail.com & ccaklera.pwd@rajasthan.gov.in

क्रमांक : 264

दिनांक : 10/07/25

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP
under (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रसंग :- आपका पत्र क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2025/7928
दिनांक 01.07.2025 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के कम में निवेदन है कि Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Rajasthan में 0.95 हेक्टेर क्षेत्र में व प्रत्यावर्तन के हेतु वनअधिकार समिति, उपखण्ड स्तरीय समिति एवं जिला स्तरीय समिति के बैठक अर्थात् विवरण पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

(डी.एस.भीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

क्रमांक : 634

दिनांक : 23/08/24

श्रीमान् उप वनसंरक्षक
झालावाड, जिला झालावाड

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP
under (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7795/2014) (0.95 Ha.)

सन्दर्भ :- आपका पत्र क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/10299
दिनांक 19.07.2024 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सन्दर्भित विषयाकित प्रस्ताव मे वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति तहत् धारा-2 मे Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned under RRSMP (Phase II) in Rajssthan मे 0.95 हैक्टर हेतु वनभूमि व प्रत्यावर्तन के लिए ERA Certificate पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार




(डी.एस.मीणा)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
अ० डी० अ० 13294

To,

उपवन संरक्षक झालावाड़

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7595/2014 श्रीमान सम्भागीय मुख्य वन संरक्षक के पत्र क्रमांक प.1 (61) वन/2016 दिनांक 18.03.2016 के क्रम में

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच.12 से रोज्या अण्डार आर.आर.एस.एम.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	बिन्दुवार शर्तों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जायेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जायेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा ही गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

Photo Copy Attested

<p>अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े पर अधोषिक्त कृषारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु मक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए सम्बन्ध जमा की जायेगी।</p>	<p>हाँ जी कृषारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 06.02. 2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>हाँ जी एन पी वी की रूपये 5,78,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>																																			
<p>उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पीघोरुपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लांक -11 भूतल सी. जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>हाँ जी रूपये 94,41,132 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि स्वाम्य स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।</p>	<p>हाँ जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क के निर्माण प्रारंभ (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादन नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।</p>																																			
<p>प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटिशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 06.02. 2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन. पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पीघोरुपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लांक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ बैंक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. अतिपूर्ति कृषारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।</p>	<p>अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. द्वारा जयपुर की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक में दिनांक 07.08.223 को उक्त कार्य हेतु राशि रु. 2225688/- सम्पर्क सड़क सावल्दा की जमा राशि रु. 12697639/- से निम्नानुसार कार्यालय उपरोक्त लेखा संख्या आसावाड पत्र क्रमांक एफ (एफसीए/उवस/2023/ 9272 दिनांक 07.08.2023 के निर्माण रोड के अनुसार सम्योजन कि अनुसंधान की है।</p> <table border="1" data-bbox="569 1097 1432 1747"> <thead> <tr> <th>सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं</th> <th>मद</th> <th>रोपित पीघो की संख्या/क्षेत्रफल</th> <th>मांग राशि क्रमिक दर 213/-</th> <th>मांग राशि क्रमिक दर 213/-</th> <th>पूर्व में जमा राशि</th> <th>शुद्ध देय राशि</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7</td> <td>100 कृषा का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td> <td>100 कृष</td> <td>982936</td> <td>1166213</td> <td>982936</td> <td>212277</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेट स्थानों पर कृषारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव</td> <td>800 कृष</td> <td>7863496</td> <td>9561716</td> <td>7863496</td> <td>1698220</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>एनपीवी0 राशि</td> <td>0.95 हेक्ट @ 95778 0/-</td> <td>594700</td> <td>909891</td> <td>594700</td> <td>315191</td> </tr> <tr> <td colspan="3">योग</td> <td>9441132</td> <td>11666820</td> <td>9441132</td> <td>2225688</td> </tr> </tbody> </table>	सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं	मद	रोपित पीघो की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि क्रमिक दर 213/-	मांग राशि क्रमिक दर 213/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि	7	100 कृषा का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 कृष	982936	1166213	982936	212277	8	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेट स्थानों पर कृषारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	800 कृष	7863496	9561716	7863496	1698220	9	एनपीवी0 राशि	0.95 हेक्ट @ 95778 0/-	594700	909891	594700	315191	योग			9441132	11666820	9441132	2225688
सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्त सं	मद	रोपित पीघो की संख्या/क्षेत्रफल	मांग राशि क्रमिक दर 213/-	मांग राशि क्रमिक दर 213/-	पूर्व में जमा राशि	शुद्ध देय राशि																														
7	100 कृषा का रोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	100 कृष	982936	1166213	982936	212277																														
8	प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पेट स्थानों पर कृषारोपण एवं 10 वर्ष तक रखरखाव	800 कृष	7863496	9561716	7863496	1698220																														
9	एनपीवी0 राशि	0.95 हेक्ट @ 95778 0/-	594700	909891	594700	315191																														
योग			9441132	11666820	9441132	2225688																														
<p>नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>																																			
<p>उच्च सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>																																			

Photo Copy Attested

अधिसूची अधिवन्ता
साठ मि० सि० खण्ड अख्तरेरा
को० रो० २०००

16

त सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से
 ननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की
 पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को
 यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक
 समाचार पत्र में अक्षरबः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ
 स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को
 स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हैं जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को अभिकरण द्वारा
 हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की
 स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई
 है। जो कि दिनांक 25.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित
 करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
 संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति
 2. वचन बढ़ता प्रमाण पत्र



 अधीक्षक अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा


क्रमांक :- 649

दिनांक :- 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षण अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना


 अधीक्षक अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
 Photo Copy Attested


 अधीक्षक अभियन्ता
 सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
 फोन नं० 030 15294

S.No. 256

Date :- 13.06.2023

To,

उपवन संरक्षक जालंधर

विषय :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.

प्रसंग :- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7595/2014 श्रीमान सम्पागीय मुख्य वन संरक्षक से पत्र क्रमांक व.1 (81) वन/2018 दिनांक 18.03.2018 के क्रम में महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अभिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच.12 से रोज्या अण्डर आर.आर.एस.एन.पी. कीज दितीय जिला जालंधर में 0.95 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु विन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विन्दुवार शर्तों का विवरण	पातन रिपोर्ट विवरण
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
3	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
4	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
5	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग होंगे।	हाँ जी प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले पेड़ों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
6	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी यूजर की होगी। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि जमा की जावेगी।	हाँ जी पातन किये जाने वाले पेड़ों की राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियन्ता
सा० नि० वि० जालंधर अकलेश
डी० डी० आ० 15294

	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर स्थोचित वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वरों को समाहित करते हुए यथासम्भव जमा की जायेगी।	ही जी वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वरों को समाहित करते हुए) जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	ही जी एन.पी.वी. की रूपये 6,76,000 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
10	उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लांक -11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।	ही जी रूपये 94,41,132 राशि जमा करा दी गई है। अण्डर टेकिंग संलग्न है।
11	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि स्क्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुयी धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जायेगी।	ही जी वचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करारक नोडल अधिकारी एफ.सी.ए. के कार्यकाल को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिये आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।	मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन है कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है। सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जाती है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक संचालित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।
13	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधियाँ प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लांक-11 भूतल सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।	ही जी अभिकरण द्वारा धन राशि रूपये 94,41,132/- जरिये चालान से जमा करा दी गयी है। छाया प्रति संलग्न है। कुल 94,41,132 जिसका मदवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव - 8,72,000/- रूपये दिनांक 26.04.2017 2. मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण - 99,77,000/- दिनांक 26.04.2017 3. एन.पी.वी. की राशि - 8,79,000/- रूपये दिनांक 26.04.2017 4. सी.ए. की राशि - 3,87,639/- रूपये दिनांक 01.11.2018 5. सी.ए. की राशि - 8,29,493/- रूपये दिनांक 27.06.2019
14	नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।
15	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	उच्च कार्यालय से संबंधित है।

Photo Copy Attested

अधिकाधी अधिवन्ता
सां वि० वि० वृक्ष अखण्ड
३० ३० ३० १९९५

16

सर्वत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एकरी दिनांक 24.07.2012 से सम्बन्धित हीन विन्दुवार द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की उपलब्ध प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को दूजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरक प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियाँ सम्बन्धित निम्न पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

हो जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को क्रमिकरण द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी गई है। जो कि दिनांक 28.12.2018 को समाचार पत्र में प्रकाशित करवा दी गयी है। समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
संलग्न - 1 जमा की गई धन राशि के बालान की छायाप्रति
2 बचन बढ़ता प्रमाण पत्र

अधिशामी अभियन्ता
सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
फोन नं० ओ० 15294

क्रमांक :- 256

दिनांक :- 13.06.2023

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित / प्रस्तुत है।

1. श्रीमान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
2. श्रीमान अधीक्षक अभियन्ता सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
3. श्रीमान सहायक अभियन्ता सा.नि.वि. उपखण्ड मनोहरथाना

अधिशामी अभियन्ता
सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
फोन नं० ओ० 15294

Photo Copy Attested



अधिशामी अभियन्ता
सा.नि.वि.वृत्त झालावाड़
फोन नं० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्वयटेकिंग)

**कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 1 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
जिला झालावाड़
फोन नं० 15294
Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
जिला झालावाड़
फोन नं० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 2 की
अनुपालना में उक्त कार्य के लिये प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग सड़क निर्माण के अतिरिक्त
अन्य किसी प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

Photo Copy Attested

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अकलेरा 15294

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अकलेरा 15294

यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

दिनांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 3 की
अनुपालना में उक्त परियोजना के अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से
अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।

(खेमचन्द मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested

पी० डी० ओ० 15294

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अम्बरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 4 की अनुपालना में निर्माण विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं इसके रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जावेगी। एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।

Photo Copy Attested

(प्रो. चन्द मीरम)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 5 की
अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा
जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ वन विभाग की ही सम्पदा होंगे, निर्माण विभाग का कोई
हस्तक्षेप नहीं होगा।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सां. नि. वि. खण्ड अकलेरा
डी. डी. ओ. 15294

(खेमचन्द मीना)

अधिशाषी अभियन्ता
सां. नि. वि. खण्ड अकलेरा
डी. डी. ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अमिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में
प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर
एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर की होगी।

Photo Copy Attested

(खेमचन्द्र मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294


अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar. (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 7 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि 8,72,000 रुपये जमा करवा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

(के.सु.चन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. अ.ओ. 15294

नांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 8 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनो और रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित सृझारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराषि (वर्तमान दरो को सम्माहित करते हुए यथा संबोधित) 69,77,000/- रूपये जमा करा दी गई है। चालान की प्रति संलग्न है।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
स.नि.वि. खण्ड अकलेरा
ओ.डी.ओ. 15294

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
स.नि.वि. खण्ड अकलेरा
ओ.डी.ओ. 15294

पर्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 9 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 568 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 5,76,000/- रुपये जमा करा दी गई है।

Photo Copy Attested

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिराणी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 10 की अनुपालना में उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति प्रौद्यारोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्राधीकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAF Rajasthan SB01025225 कॉम्पिशन बैंक (भारत सरकार का उपकम) ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा कराया जायेगा।

उक्त राशि का विवरण -

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव | - 8,72,000 /- रुपये दिनांक 28.04.2017 |
| 2.मार्ग के दोनों तरफ वृक्षारोपण | -69,77,000 /- रुपये दिनांक 28.04.2017 |
| 3. एन.पी.वी. की राशि | - 5,76,000 /- रुपये दिनांक 28.04.2017 |
| 4. सी.ए. की राशि | -3,87,639 /- रुपये दिनांक 01.11.2018 |
| 5. सी.ए.की राशि | - 6,28,493 /- रुपये दिनांक 27.06.2019 |

Photo Copy Attested



(खेमचन्द मीना)
अधिराणी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
जी० डी० ओ० 15294

अधिराणी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
जी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावार

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अम्बरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं 11 की
अनुपालना में सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुयी धन राशि
प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जावेगी।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
बी० डी० ओ० 15294

खेमचन्द शीन्से
अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
बी० डी० ओ० 15294

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 12 की अनुपालना में मक डिस्पोजल योजना के सम्बन्ध में निवेदन हैं कि सड़क का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सड़क में कोई कटिंग प्रस्तावित नहीं है, सड़क निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लायी जानी है। इस प्रकार सड़क निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नहीं होगा। इसलिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नहीं होगी।

(खेमचन्द्र मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
जिला झालावाड़
डी० डी० ओ० 15294

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 13 की अनुपालना में प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एफ.सी.दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पीछोरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 भूतल सी.जी.ओ.कॉम्प्लैक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-110003 में जमा राशि की पावती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/ चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण तथा अन्य हुतु जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरांत ही प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
जी.ओ.डी.ओ. 15294

खण्ड मीना
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
जी.ओ.डी.ओ. 15294

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 14 की अनुपालना में नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 5 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
झी.डी.ओ. 15294

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
झी.डी.ओ. 15294

क्रमांक :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Senctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 15 की
अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रमोदन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं
पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

Photo Copy Attested

(खेमचन्द मीना)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. डी.ओ. 15294

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पी.ओ. डी.ओ. 15294

मालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्र. :

दिनांक :

अभिलिखित सहमति (अन्डरटेकिंग)

**कार्य का नाम :- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned
under RRSMP (Phase II) in Distt.Jhalawar.
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) (0.95 Ha.)**

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं. 18 की अनुपालना में भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावेगी तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में दिनांक 25.12.2018 को अक्षरशः प्रकाशित करवायी गयी है एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतिया लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना करवा दिया गया है।

खण्ड अभियन्ता
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
डि.डी.ओ. 15294

Photo Copy Attested



कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
दिनांक :- 24/5/19

श्रीमान् उपवन सरंस्कृत
झालावाड जिला झालावाड राज्

**विषय:- सम्पर्क सडक एम-82 से रोज्या अन्डर RRSMP (Phase-II) In Distt.
झालावाड ।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उक्त सडक का संशोधित डिमाण्ड की राशि 628493.00 रु केम्पा फण्ड में E-घातान द्वारा दिनांक 24.05.2019 को जमा करवा दिया गया है घातान की प्रति एंव टैजरी के बिल की प्रति सलंगन कर भिजवायी जा रही है।

भवदीय
(एल.डी.सगडी)
अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested



अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास के वनस्पति/वन्य जीवन की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी। एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी।

हां, जो प्रस्तावित क्षेत्र के आसपास के वनस्पति/वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर युजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी युजर एजेन्सी की होगी। प्रयोक्ता एजेन्सी को अन्डर टेकिंग संलग्न है।

<p>7. प्रयोक्ता अभिकरण के ध्येय पर वन विभाग द्वारा शुन्य से 10 क्व. फी. घातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वृक्षों का 10 गुना किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>घातन किये जाने वाले वृक्षों की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दी गयी है।</p>
<p>8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त रखरखाव हेतु आवश्यक धन राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जो आवश्यक धन राशि 7883498 रु. जमा करा दी गई है।</p>
<p>9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) की राशि जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जो कुल राशि रु 8441132 जमा करवा दी गयी है। जिसमें राशि रु 694700 एनपीवी के सम्मिलित है।</p>
<p>10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरुपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ लेखा सं. CAF Rajasthan SB01025225 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।</p>	<p>हां, जो कुल राशि रु 8441132/- जमा करवा दी गयी है। जिसमें सीए की राशि रु 982936 सम्मिलित है।</p>
<p>11. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्ध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है जो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।</p>	<p>हां, जो वचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है।</p>
<p>12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मरु डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत करवाकर नोडल अधिकारी एफसीए के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी। एवं प्रयोक्ता अभिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।</p>	<p>सड़क निर्माण में निकालने वाले मक का उपयोग सड़क निर्माण की फिलिंग में किया जाएगा। वन क्षेत्र में निस्तारण नहीं किया जायेगा तथा प्रस्तावित वन भूमि में सड़क निर्माण में बाहर से मिट्टी लाकर फिलिंग की जायेगी। जिससे मक निस्तारण की मात्रा शुन्य होगी। इस संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया है।</p>
<p>13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन सिविल 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र सं. 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधोरुपण निधि प्रबन्धक कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) ब्लाक-11 भूतल सी जी ओ कॉम्प्लेक्स फेज 1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा करने के उपरान्त ही जमा राशि की पावती की छायाप्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चैक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक</p>	<p>अभिकरण द्वारा कुल धन राशि रु 7988895 जरिये सालाना से जमा करा दी गयी है। जिसका बहवार विवरण निम्नानुसार है। 1. 100 वृक्षों का रोपण एवं रखरखाव :- 982936 /- रु. 2. मार्ग के तीनों तरफ वृक्षारोपण 7883498 /- रु. 3. एन.पी.वी - 694700 /- है।</p>

Photo Copy Attested

1300FCA letter

<p>स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का भवचार विवरण अर्थात् एनपीवी कतिपयि विवरण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का पूर्ण भवचार विवरण दिया गया है।)</p>	
<p>14. क्षेत्र अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 8 तारीख को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करें।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>
<p>15. राज्य सरकार द्वारा की गई उक्त अनुमति का प्रबोधक संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।</p>	<p>उच्च कार्यालय से संबंधित है।</p>
<p>16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय श्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.12 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे। तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल बॉडीज पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>जी हाँ, उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति के युजर एजेन्सी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करवा दी जायेगी जो कि दिनांक 25.12.2018 को 2 समाचार पत्रों में प्रकाशित करवा दी गई है। समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।</p>

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न :-
1. जमा की गई धन राशि के चालान की छायाप्रति।
 2. वचन बढ़ता प्रमाण पत्र।
 3. समाचार पत्र की प्रति।

अग्रणीय


(मन्मोहन प्रजापत)
उप वन संरक्षक
झालावाड़


क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2019-20/9131

दिनांक: 10.6.19

प्रतिलिपि :- अधिराजी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को उनके पत्रांक 186 दिनांक 28.05.2019 के फम में सूचनाय प्रेषित है।

Photo Copy Attested


उप वन संरक्षक
झालावाड़


अधिराजी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
पिन को.ओ. 15294

१८

कार्यालय अधिराणी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा जिला झालावाड़

क्रमांक :

उप वन संरक्षक / 06
झालावाड़

दिनांक : 28-5-19

**विषय:- Construction of Road NH-12 to Rojya Sanctioned under
RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar.**

**संदर्भ:- प्रस्ताव संख्या FP/RJ/ROAD/7795/2014 श्रीमान् सम्भागीय मुख्य वन
संरक्षक के पत्र क्रमांक प. 1 (51)वन / 2015 दिनांक 18.03.2015 के कम में**

महोदय,

कृपया उपरोक्त संदर्भित विषयांकित प्रस्ताव में वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में कन्स्ट्रक्शन ऑफ रोड एन.एच. 12 से रोड अकलेरा आर.आर.एन.एन.पी. फेज द्वितीय जिला झालावाड़ में 0.95 हेक्टर हेतु वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति हेतु विन्दुवार सुस्पष्ट पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विन्दुवार सतों का विवरण	पालना रिपोर्ट विवरण
1.	वन भूमि की शैथानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	हाँ जी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अम्बर टैकिंग सलमन है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। अम्बर टैकिंग सलमन है।
3.	प्रस्तावानुसार उक्त परियोजना अन्तर्गत पातन किये जाने वाले प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पातन नहीं किया जावेगा।	हाँ जी, प्रस्तावित पेड़ों की संख्या से अधिक पेड़ों का पालन नहीं किया जावेगा। अम्बर टैकिंग सलमन है।
4.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	हाँ जी, परियोजना निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। अम्बर टैकिंग सलमन है।
5.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पेड़ों को वन विभाग के बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के ही होंगे। अम्बर टैकिंग सलमन है।
6.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस-पास में वनस्पति/ वन्यजीव (Flora/Fauna) की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी सूजर की होगी।	हाँ जी, प्रत्यावर्तित क्षेत्र के आस पास में वनस्पति / वन्य जीवन संरक्षक की क्षति होने पर यूजर एजेन्सी की जिम्मेदारी रहेगी एवं इनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी यूजर एजेन्सी की रहेगी। अम्बर टैकिंग सलमन है।
7.	प्रयोक्ता अधिकरण के व्यव पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों के पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों का समाहित करते हुए यथा सम्भव राशि जमा की जावेगी।	हाँ जी, पातन किये जाने वाले पेड़ों को रास प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा कराया ही गयी है। अम्बर टैकिंग सलमन है।

Photo Copy Attested

अधिराणी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा
जिला झालावाड़
दिनांक 15/5/19

29-5-19

प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पट्टे स्थानों पर स्थितिपूर्ण कुआरोपण धनराशि (वर्तमान बरो को समतुलित करते हुए प्यासरा) जमा की जावेगी।

हाँ जी, उपरोक्त धनराशि जमा करने की नहीं है। प्रायः टैकिंग सम्बन्ध है।

9. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1908 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी।

हाँ जी, राशि न 9441132 / काभी जमा करने की नहीं है।

10. उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पीओरोपण निधि प्रबंधक तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ लेखा संख्या CAP Rajasthan SB01025225 कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 गूगल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा कराया जायेगा।

हाँ जी, राशि न 9441132 / काभी जमा करने की नहीं है। जिसमें सी.जी.ओ. लोधी रोड न 9441132 / काभी सम्बन्धित है।

11. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का यथनबद्धता प्रमाण प्रस्तुत करेंगे कि राहाम एतर से यदि एन.पी.वी. की बरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा जमा की जाएगी।

हाँ जी, यथनबद्धता का प्रमाण पत्र संख्या 21 दिनांक 11/11/2011 है।

12. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा एक डिस्पोजल योजना उप वन संरक्षक द्वारा स्वीकृत कराकर नोडल अधिकारी एक.सी.ए. के कार्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं प्रयोक्ता अधिकरण इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करायेगा।

सड़क निर्माण में निकलने वाले एक प्रकल्प संख्या 2011 की फिलिंग में किया जायेगा। 2-1 के 2 में निर्माण कर किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता के पत्र संख्या 5-3/2007-एक.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पीओरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 गूगल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पायती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ बैंक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. प्रतिपूर्ति कुआरोपण तथा अन्य हुए जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1908 के अन्तर्गत आई.ए.संख्या 588 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007- एक.सी.दिनांक 08.02.2009 के तहत में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) तथा सभी निधिया प्रतिपूर्ति पीओरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्रधिकरण के तदर्थ निकाय कॉर्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)ब्लॉक-11 गूगल सी.जी.ओ.कॉम्प्लेक्स फेज-1 लोधी रोड नई दिल्ली-11003 में जमा राशि की पायती की छाया प्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्रफ्ट/ बैंक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसके जमा की गयी राशि का मदवार विवरण अर्थात् एन.पी.वी. प्रतिपूर्ति कुआरोपण तथा अन्य हुए जमा धनराशि का पूर्ण मदवार विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए तदोपरान्त ही प्रकरण में विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

अधिकरण द्वारा धन राशि 9441132 / काभी जमा प्रमाण पत्र संख्या 21 दिनांक 11/11/2011 से जमा करा दी गयी है। उपरोक्त धनराशि कुल 9441132 जिसका मदवार विवरण निम्नप्रकार है

1. 100 कृषी का रोपण एवं लक्ष्य - 1000000 /
2. मार्ग के तीनों तक कुआरोपण - 1000000 /
3. एन.पी.वी - 604700 / - छायाप्रति प्रमाण है।

Photo Copy Attested

14. नोडल अधिकारी (वन संरक्षक) इस प्रस्ताव की स्वीकृति के अगले माह की 8 तारीख को संबंधित क्षेत्रिय कार्यालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट प्रेषित करे।

उच्च कार्यालय से सम्बन्धित है।

अधिकारी अभियन्ता
साठे नि. सं. 10/2003 अकालोरी
डी.डी. सं. 15294

सर्व सरकार द्वारा दी गई उक्त अनुमति का प्रमाण सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।

उक्त कार्यालय से सम्बन्धित है।

सर्व सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एकलौ दिनांक 24.07.2013 से माननीय डीन दिल्ली द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पत्रित निर्णय की प्रमाण प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को सुजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में उद्धरण प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृतियों की प्रतियां लोकल वीडियो प्रकाशक एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्रप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करवा सुनिश्चित करे। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुरक्षित पालना प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत प्रेषित स्वीकृति जारी की जायेगी प्रयोक्ता अधिकारण को वन भूमि/क्षेत्र का हस्तान्तरण की कार्यवाही प्रकरण में प्रेषित स्वीकृति जारी होने से पूर्व नहीं की जायेगी।

हो जो उक्त प्रकरण में जारी स्वीकृति को सुजर एजेंसी द्वारा हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को स्वीकृति प्रप्ति के 30 दिन के अन्दर प्रकाशित करावा ही जायेगी। जो कि दिनांक 28.12.2018 को समाप्त की गयी है। समाचार पत्र की छाया प्रति संलग्न है।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं विन्दुवार सुरक्षित पालना रिपोर्ट अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- संलग्न - 1 उक्त की गई वन राशि के बालान की छायाप्रति
 2 वन वृद्धि प्रमाण पत्र
 3 एक डिस्पोजल प्रमाण पत्र


 (एल. ए. मन्त्री)
 अधिशासी अभियन्ता
 सानि. वि. उपखण्ड अकलेरा

क्याक

दिनांक:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रस्तुत है।

- 1 श्रीमान् मुख्य वन सहायक राजस्थान जयपुर
- 2 श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता सानि. वि. वृत्त झालावाड
- 3 श्रीमान् सहायक अभियन्ता सानि. वि. उपखण्ड मनोहरस्थाना


 अधिशासी अभियन्ता
 सानि. वि. उपखण्ड अकलेरा

Photo Copy Attested



अधिशासी अभियन्ता
 सां. वि. उपखण्ड अकलेरा
 डी. डी. अ. 19294

NM-12 से रकम

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Public Works Department, Jaipur

Form RWPA 23

Order No. 18871, Dated 24/08/2018

Reference No

Work Name: ELang purd Div-Abdera, Division Code 15294
Div Code

HAND RECEIPT NR Payments for Govt Dept/Govt Agency

(Referred to in PWF & A Rules 418, 424, 436 and 438)

(To be used as a simple form of voucher for all miscellaneous payments and advances for which none of the special form 24 and 28 are suitable)

Work: NM-12 to Rajya

Vendor Name: CORPORATION BANK

Sanction/Autorization/BA No. Dated

Budget Head: 3034-06-009-03-01-21-V-P

Reason

Bank Details: Account No - 15883811338281, IFSC Code CORP0000371

Total amount payable to the contractor or supplier in Figures: 6,28,493 (In Words) Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only

Deductions/Recoveries:

S.No.	Head Code	Head Detail	Amount
-------	-----------	-------------	--------

Net Amount Payable in Figures: 6,28,493 (In Words) Rupees Six Lakh Twenty Eight Thousand Four Hundreds Ninety Three Only

Received from _____ sum of Rs. _____ (Rupees _____) on account of (Work Name) _____ Purpose _____


Certified that :

1. The Work has been done as per Specifications, Contract Agreement & Drawings found satisfactory.
2. The Payment of this bill is not drawn previously.
3. Bank Details of the Contractor/Supplier has been checked & verified.
4. Nothing is outstanding against Contractor regarding this work.
5. All formalities & observations regarding necessary entries are personally examined.
6. No tools & Plants has been issued to the Contractor.
7. Material has been used by Contractor as per Specifications.


Dated:


Signature of DA with seal

Photo Copy Attested



For use in Divisional Office


अधिकाची अधियन्ता
सा० कि० वि० रज' ३ अ-करोरा
खी० खी० अं० 15294

अधिकाची अधियन्ता
सा० कि० वि० रज' ३ अ-करोरा
खी० खी० अं० 15294

करज से माफी नहीं, मुक्ति चाहिए

सर्वप्रथम यह कहना है कि भारत एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ है कि सरकार का शासन जनता के द्वारा होता है। जनता के अधिकारों का सम्मान करना ही लोकतंत्र का अर्थ है।

भारत में पिछले कुछ दिनों में सरकार ने जनता के अधिकारों का सम्मान नहीं किया है। सरकार ने करज से माफी नहीं दी है। यह एक गंभीर समस्या है।

सरकार को चाहिए कि वह जनता के अधिकारों का सम्मान करे। करज से माफी देना ही एक उचित रास्ता है।

विभाजन को खारिज करते "मुस्लिम गीत"

मुस्लिम गीतकारों ने विभाजन को खारिज करने के लिए एक गीत लिखा है। यह गीत भारत के एकतावादी भावों को दर्शाता है।

गीत में कहा गया है कि भारत एक ही देश है। विभाजन का अर्थ नहीं है।

मुस्लिम गीतकारों ने विभाजन को खारिज करने के लिए एक गीत लिखा है। यह गीत भारत के एकतावादी भावों को दर्शाता है।

गीत में कहा गया है कि भारत एक ही देश है। विभाजन का अर्थ नहीं है।

पारंपरिक अधिकांश अभियन्ता का प्रति

भारत में पारंपरिक अधिकांश अभियन्ता का प्रति... यह एक गंभीर समस्या है।

अभियन्ताओं को चाहिए कि वे अपने अधिकारों का सम्मान करें।

मुस्लिम गीतकारों ने विभाजन को खारिज करने के लिए एक गीत लिखा है। यह गीत भारत के एकतावादी भावों को दर्शाता है।

गीत में कहा गया है कि भारत एक ही देश है। विभाजन का अर्थ नहीं है।

मुस्लिम गीतकारों ने विभाजन को खारिज करने के लिए एक गीत लिखा है। यह गीत भारत के एकतावादी भावों को दर्शाता है।

गीत में कहा गया है कि भारत एक ही देश है। विभाजन का अर्थ नहीं है।

रामनाथी जी के इन्दिमाल में महामार्ग पर लगेगी टैक



रामनाथी जी के इन्दिमाल में महामार्ग पर लगेगी टैक... यह एक गंभीर समस्या है।

महामार्ग पर लगेगी टैक, जो यातायात में बाधा डालेगी।

करज से माफी नहीं, मुक्ति चाहिए... यह एक गंभीर समस्या है।

सरकार को चाहिए कि वह जनता के अधिकारों का सम्मान करे।

मुस्लिम गीतकारों ने विभाजन को खारिज करने के लिए एक गीत लिखा है। यह गीत भारत के एकतावादी भावों को दर्शाता है।

गीत में कहा गया है कि भारत एक ही देश है। विभाजन का अर्थ नहीं है।

मुस्लिम गीतकारों ने विभाजन को खारिज करने के लिए एक गीत लिखा है। यह गीत भारत के एकतावादी भावों को दर्शाता है।

गीत में कहा गया है कि भारत एक ही देश है। विभाजन का अर्थ नहीं है।

Photo Copy Attached

Block No.3, 4th Floor
Hall No.1, CGO Complex
Lodhi Road, New Delhi-110003
Dated: 01st June, 2023

To,
The Assistant General Manager
Union Bank of India
FCS Bangalore Branch
Bangalore-560027

Sub: - वन संरक्षण अधिनियम के प्रत्यावर्तन प्रकरणों में की गयी भुगतान राशि को पुनर्स्थापित कराने बाबत

- (i) Diversion of 0.994 ha of Forest land for construction of road from Barodiya to Jatamari under RRSMP (Phase II) in Rajasthan, District Jhalawar. (Proposal No.RJ/Road/7757/2014)
- (ii) Diversion of 0.950 ha of forest land for construction of Road from NH-12 to Rojya Sanctioned under RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/Road/7795/2014)
- (iii) Diversion of 0.200 ha of Forest land in construction of road from NH-12 KM 358/500 to Nayagoun Bhanpura RRSMP (Phase II) in Distt. Jhalawar (Proposal No.FP/RJ/Road/7759/2014)

Sir,

Please refer to the letter No.4968 of APCCF & Nodal Officer (FCA) on the subject mentioned above and it is to inform that user agency has erroneously deposited the remittances of Rs.10,96,947.00, 6,28,493.00 and 4,99,056.00 through challan No.150856113599281 on 27.09.2019. The Union Bank of India, CGO Complex, New Delhi- 110003 has confirmed the remittance in the "CAF- Rajasthan" account. Therefore, it is requested that the kindly updated the remittances on correct proposal/remitter No. as per the details mentioned in the table: -

S.No.	Proposal No./Diversion Area	Amount With date	UTR No.	Challan No. from which the amount has wrongly paid	Remitter No. (on which the amount has to be shown)
1.	Proposal No. RJ/Road/7757/2014 & 0.994 ha.	10,96,947.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897743	150856113599281	6177570372
2.	FP/RJ/Road/7795/2014 & 0.950 ha.	6,28,493.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897732		6175950315
3.	FP/RJ/Road/7759/2014 & 0.200 ha.	4,99,056.00 Dated 27.06.2019	RB11781948897730		6177590992

Photo Copy Attested

अधिकाधी अधियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अन्वयेरा
डी० डी० ओ० 15294

as above

Yours faithfully,

(Sanjay Kumar Chauhan)
Assistant Inspector General of Forests
National Authority

Copy to: -

1. The Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), O/o Principal Chief Conservator of Forests, Government of Rajasthan, Aranya Bhawan, Jhalana industrial Area, Jaipur-302004

Photo Copy Attested



अधिकाधी अधियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
डी० डी० ओ० 15294

Office of the District Collector & District Magistrate, Jhalawar

No:- 4193-95

Date :-
22-08-24

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF; Government of India's letter No. 11-F/98-FC(Pt) dated 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having inmated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forests Rights) Ad (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.95 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Executive Engineer P.W.D. Division Aklera in Jhalawar District for Construction of Approach road to Rojya falls within jurisdiction of Gram Panchayat Borkheri Gujran Village in Rojya in Aklera tehsil. It is further certified that :-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.95 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Sub Division Level Committes and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure B
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas has given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Topal Groups and Pre agricultural communities.

End. As above



District Collector & District Magistrate
Jhalawar

No:- 4193-95

Date :-
22-08-24

Copy to the Superintending engineer PWD Div. Jhalwar for N/A

Copy to the Executive engineer PWD Div. Aklera N/A


District Collector & District Magistrate
Jhalawar
Photo Copy Attested

**जिला स्तरीय वनाधिकार समिति, झालावाड की दिनांक 22.08.2024 को प्रातः
10:30 बजे आयोजित बैठक का कार्यवाही विवरण**

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 की धारा-03 (1) व 3 (2) के अन्तर्गत दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 10:30 बजे जिला स्तरीय वनाधिकार समिति झालावाड की बैठक जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई जिसमें संलग्न सूची के अनुसार पदाधिकारीयों ने भाग लिया, बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा प्रस्तुत प्रकरण सम्पर्क सड़क नयागांव मानपुरा ग्राम पंचायत खेडला खसरा नं. 105 में 2000 वर्गमीटर = 0.20 हेक्टेयर, सम्पर्क सड़क बडौदिया से जटामरी ग्राम पंचायत बडौदिया खसरा नं. 497,529,530,528,155,99,98 में 9940 वर्गमीटर = 0.994 हेक्टेयर एवं सम्पर्क सड़क रोज्या ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरान खसरा नं. 651/240, 650/236, 235, 649/234 में 9500 वर्गमीटर = 0.95 हेक्टेयर, सम्पर्क सड़क बानीखेडी ग्राम पंचायत डोडी खसरा नं. 383,364,363,383 में 5200 वर्गमीटर = 0.52 हेक्टेयर भूमि वन क्षेत्र में आती है। जिसमें उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, झालावाड, असनावार, अकलेरा व गंगधार द्वारा सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन करने हेतु प्राप्त दावा प्रकरणों का अवलोकन व परीक्षण करने से पाया गया है कि प्रस्तावित वन भूमि पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन भूमि के अधीन कोई अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है ना ही वन क्षेत्र में कोई दावा लम्बित है।

अतः निम्नलिखित विवरणानुसार प्रस्तुत निर्माण कार्यों में आने वाली वन भूमि को डायवर्जन एवं FRA प्रमाण-पत्र जारी करने की अभिशंका की जाती है।

क्र.सं.	नाम कार्य मय ग्राम	ग्राम पंचायत	उपखण्ड क्षेत्र	खसरा नं०	डायवर्जन के लिए बाधित भूमि	किस्म
1	सम्पर्क सड़क नयागांव मानपुरा	खेडला	असनावर	105	2000 वर्गमीटर = 0.20 हेक्टेयर	ग.मु.सड़क खातेदार PWD
2	सम्पर्क सड़क बडौदिया से जटामरी	बडौदिया	असनावर	497,529,530,528, 155,99,98	9940 वर्गमीटर = 0.994 हेक्टेयर	ग.मु.सड़क खातेदार PWD
3	सम्पर्क सड़क रोज्या	बोरखेडी गुजरान	अकलेरा	651/240, 650/236, 235, 649/234	9500 वर्गमीटर = 0.95 हेक्टेयर	ग.मु.सड़क खातेदार PWD
4	सम्पर्क सड़क बानीखेडी	डोडी	गंगधार	383, 364, 363, 383	5200 वर्गमीटर = 0.52 हेक्टेयर	ग.मु.सड़क खातेदार PWD
				Total	26640 वर्गमीटर = 2.664 हेक्टेयर	

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, झालावाड
क्रमांक : वन अधिकारी अधिनियम/
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, झालावाड
2. उपवन संरक्षक, झालावाड
3. उपखण्ड अधिकारी झालावाड, असनावर, अकलेरा व गंगधार
4. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. झालावाड
5. अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड अकलेरा/चौमहला
6. रक्षित पत्रावली

उपवन संरक्षक
झालावाड

जिला कलक्टर
झालावाड

दिनांक :

Photo Copy Attested

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
वन परियोजना अधिकारी (माडा)
जिला परिषद, झालावाड

अधिशाषी अभियंता
सा.नि.वि. अकलेरा
खंड नं. 15294

दिनांक 04/03/2024 को उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति (अकलेरा) की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्रावधानानुसार वनाधिकार का कोई दावा लम्बित अथवा प्रक्रियाधीन नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसरा नं०	ग्राम पंचायत	दायवर्जन के लिए बांछित भूमि
1	रोज्या	651/240	बोरखेडी गुजरान	500sqm= 0.050 Hect.
2	रोज्या	650/236	बोरखेडी गुजरान	3000sqm= 0.300 Hect.
3	रोज्या	235	बोरखेडी गुजरान	3250sqm= 0.325 Hect.
4	रोज्या	649/234	बोरखेडी गुजरान	2750sqm= 0.275 Hect.
कुल				9500sqm= 0.95 Hect

अधिसूचना अधिनियम
सं० फि० वि० २००६ अकलेरा
श्री० सं० ३१० १५२९४

Photo Copy Attested

क्षेत्रीय वनाधिकारी
अकलेरा (झालावाड)

विकास अधिकारी
पंचायत समिति अकलेरा

उपखण्ड अधिकारी
अकलेरा (झालावाड)

दिनांक 26-02-2024 को उपरोक्त सहाय वनाधिकारी समिति..... की बैठक सम्पन्न हुई। इसमें दर्ज विवरण के अनुसार निम्नांकित वन भूमि पर अर्जुवृक्षित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) व 3(2) के प्राधान्यानुसार वनाधिकार का कोई दावा नहीं है। अतः प्रतिकार्यार्थी नहीं है।

क्र.सं.	ग्राम	खसत नं०	ग्राम पंचायत	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल
1	रायगा	651/240	बोरखेडी गजराज	500sqm = 0.050 Hect.	
2	रायगा	650/236	बोरखेडी गजराज	3000sqm = 0.300 Hect.	
3	रायगा	235	बोरखेडी गजराज	3250sqm = 0.325 Hect.	
4	रायगा	649/234	बोरखेडी गजराज	2750sqm = 0.275 Hect.	
					9500sqm = 0.95 Hect

Photo Copy Attached

ग्राम पंचायत एवं ग्राम सचिव
 ग्राम पंचायत बोरखेडी गजराज
 पंचायत सचिव अकलरा

26/02/24
 ग्राम पंचायत बोरखेडी गजराज
 स. अकलरा (गजराज)
 ग्राम पंचायत बोरखेडी गजराज

अधिकांशिकी विभाग
 वन विभाग
 को. अ. 15294

कार्यालय ग्राम पंचायत

बोरखेडी गुजरात

पंचायत समिति अकलेरा जिला झालावाड (राज.) 26-02-2024

क्रमांक SP-138/2024-25

दिनांक 26-02-2024

श्रीमान श्रीमन अधिशाही अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण

विभाग खण्ड अकलेरा जिला झालावाड

विषय: सार्वजनिक रोड से समझौता करवाने बाध

दिये

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरात की सार्वजनिक सड़क रोड की भूमि में 850 meter लम्बाई में से गुजर रही है तथा ग्राम रोड के ग्रामवासियों द्वारा शस्त्री से गुजर रहे हैं। ग्रामिणों की मांग पर ठीक भूमि में से सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड अकलेरा द्वारा सड़क निर्माण के लिए वन विभाग रोज अकलेरा में ग्राम रोड के लिए 850 meter लम्बाई तथा 1008 मीटर चौड़ाई के लिए वन विभाग की आवश्यक करने का प्रस्ताव ग्रामवासियों व ग्राम द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर वन विभाग की प्रस्ताव की फोटोकॉपी मिलवाने का निर्माण किया गया

Photo Copy Attested

अधिशाही अभियन्ता
 कार्यालय सार्वजनिक निर्माण अकलेरा
 जिला झालावाड राज. 380 001 15294

सचिव ग्राम विकास अधिकारी
 ग्राम पंचायत बोरखेडी गुजरात
 प. न. अकलेरा

ग्राम निर्माण अधिकारी
 बोरखेडी गुजरात
 स. अकलेरा जिला झालावाड

कार्यालय उप वन संरक्षक, झालावाड़

Tele-Fax-07432-232230, E-mail- dcfjhalawar1967@gmail.com

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/1075-77
निमित्त:-

दिनांक: 22-02-24

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Construction of Road NH-12 to Rogya sanctioned
under RRSMP (Phase-II) in Dist-Jhalawar
(Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014)

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि Construction of Road NH-12 to Rogya sanctioned under RRSMP (Phase-II) in Dist-Jhalawar (Proposal No. FP/RJ/ROAD/7595/2014) प्रकरण की सैधांतिक स्वीकृति पत्रांक पत्रांक प. 1 (51) वन/2015 दिनांक 18.03.2015 से की सैधांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा द्वारा पत्रांक 50 दिनांक 14.02.2024 से अवगत कराया है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा मौके पर बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य कर लिया गया है।

पत्र सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शुभदीप

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

दिनांक: 22-02-24

क्रमांक एफ ()एफसीए/उवसं/2024/1075-77

प्रतिलिपि :- 1. अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज० अग्रपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

2. अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि खण्ड अकलेरा को सूचनार्थ प्रेषित है।

3. क्षेत्रीय वन अधिकारी, अकलेरा को देकर लेख है कि बिना सक्षम स्वीकृति के गैर वानिकी कार्य के संबंध में की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को मध्य 03 दिवस में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(वी. चेतन कुमार IFS)
उप वन संरक्षक
झालावाड़

Photo Copy Attested

D/SURVEYOR/FCA LETTER 01.08.2020

अधिशाषी अभियन्ता
सा० नि० वि० खण्ड अकलेरा
दूर फोन नं० 15294